न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–06/2025

आनंद किशोर सिंह...वादी

बनाम

रामाशंकर सिंह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
09.01.2026	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 29.04.2025 को अंदर आदेश 06 नियम 17 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 09.01.2026 को आदेश हेतु निश्चित है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद, वादीगण के उपस्थिति हेतु चल रहा है। इधर वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि टंकक के टंकण के कारण वाद पत्र में कुछ गलत शब्द टाईप हो गया है, जिसको सुधार करना आवश्यक है। ''वाद पत्र के मुख्य पृष्ठ में प्रतिवादीगण के पता में थाना– 'शिकारपुर' को कलमजद कर उसके स्थान पर 'गौनाहा' अंकित किया जाए।'' संशोधन औपचारिक है तथा इससे वाद के प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रतिवादीगण प्रस्तुत वाद में उपस्थित नहीं हुए है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा एक संशोधन आवेदन दिनांक 29.04.2025 को अंदर आदेश 06 नियम 17 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए वादी को वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि पक्षकार को ऐसे किसी भी संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वाद से संबंधित प्रतीत होता हो, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादी द्वारा आवेदन में वर्णित संशोधन साधारण प्रकृति का प्रतीत होता है तथा इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–06/2025

आनंद किशोर सिंह...वादी

बनाम

रामाशंकर सिंह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **09.01.2026**	न्यायहीत में वादी का आवेदन दिनांक 29.04.2025 को स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करे। वाद दिनांक 06.02.2026 को अग्रीम वास्ते निश्चित किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	